घर में फ्रेंडली एंट्री से जानकार का वारदात में शामिल होने का शक

वेलकम में सास-बहू की घर में घुसकर चाकुओं से निर्मम हत्या

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुभाष पार्क इलाके में मंगलवार को 75 वर्षीय एक महिला और उसकी बहू की उनके घर में ही हत्या कर दी गयी। मृतक महिलाओं के नाम विमला देवी और डोली राय (45) बताये गये हैं। परिवार का पूजा सामग्री का व्यवसाय है। पुलिस के अनुसार मृतकों के शरीर पर चाकुओं के निशान है। वारदात के बाद फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने भी मौका-ए-वारदात का मुआयना कर साक्ष्य एकत्रित किये है। पुलिस परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में लूटपाट के चलते हत्या की आशंका जताई है।

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि डोली के बेटे सार्थक और शशांक दो-तीन दिन के लिए ऋषिकेश और मसूरी घूमने गए थे। वापस आने पर उन्होंने मां और दादी का शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। वेलकम थाने में मंगलवार को तड़के चार बजकर 20 मिनट पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर के कमरे में खून से लथपथ डॉली का शव था जबकि पहली मंजिल के कमरे में बुजुर्ग विमला देवी मृत पड़ी थी। घर का पालतु विदेशी नस्ल का कुत्ता ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कमरे में बंद पाया गया। पुलिस आशंका जता रही है कि हत्याकांड में किसी करीबी का हाथ है। पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह हत्यारों के करीब है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एक नजर परिवार की पृष्टभूमि पर

विमला देवी का परिवार गली नंबर-12 सुभाष पार्क, वेलकम में रहता था। इनके परिवार में बहू डॉली राय, डॉली के दो बेटे शशांक (27) और सार्थक (24) हैं। डॉली के पति आलोक राय की कुछ समय पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। पहले परिवार का केमिकल का कारोबार था। लेकिन कुछ सालों पूर्व परिवार ने पूजा सामग्री का काम शुरू किया था। इनकी तिलक बाजार, खारी बावली में दुकान है। विमला का तीन मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर डॉली व उसके दोनों बेटे रहते थे जबकि पहली मंजिल पर विमला अकेली रहती थी। दूसरी और तीसरी मंजिल पर पूजा सामग्री के पैक होने का काम होता था। घर में चार से पांच कर्मचारी पैकिंग का काम करते हैं, जबकि एक घरेलू नौकरानी सफाई व बाकी कार्य करने आती है। कई दिन लगातार छुट्टी होने के कारण सार्थक और शशांक ने अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने का कार्यक्रम बनाया था। 12 अगस्त की रात को दोनों भाई दोस्तों के साथ गए थे।

अलमारी से कैश और जूलरी मिली गायब

पीड़ित परिवार के एक करीबी ने बताया

कि रविवार को सार्थक की दिन में अपनी मां से बात हुई थी। दोनों भाई मंगलवार तड़के करीब 3.30 बजे घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो शशांक ने सार्थक को मेन गेट की दूसरी चाबी लेने के लिए रिश्तेदार के यहां भेजा। करीब 30 मिनट बाद चाबी आई। इसके बाद मेन गेट को खोलकर अंदर दाखिल हुआ गया। अंदर का नजारा देखते ही दोनों भाईयों के होश उड़ गए। मम्मी और दादी के कमरे की अलमारी टूटी हुई थी। उनमें रखा कैश और जूलरी गायब मिली है। छानबीन के दौरान पुलिस आशंका जता रही है कि रविवार देर रात को ही दोनों महिलाओं की हत्या की गई है।

पत्नी से अनबन के चलते दामाद ने की सास पर फायरिंग

- दीवार पर लगी गोली आरोपी गिरफ्तार
- हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा

नई दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी जिले के सागरपुर इलाके में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे एक शख्स ने गुस्से में आकर सास पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि गोली महिला को न लग कर दीवार पर जा लगी। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो आरोपी दामाद के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम गौरव (32) बताया गया है। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त की शाम पीसीआर कॉल के जरिए इस मामले की सूचना मिली। बताया गया कि दामाद ने वेस्ट सागरपुर में सास के ऊपर गोली चला दी है। हालांकि, इस घटना में कोई जख्मी नहीं था। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की तो पता चला आरोपी अशोक पार्क में रहता है। उसकी शादी रुचि से हुई थी। पिछले कुछ महीनों से पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। करीब सप्ताह भर पहले उसकी पत्नी पति का घर छोड़ अपनी मां सरिता के पास आ गई थी। शाम के समय गौरव अपने ससुराल पहुंचा, जहां पत्नी को घर ले जाने के मसले पर उसकी सास से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि तैश में आकर आरोपी ने सास पर गोली चला दी। गोली कमरे की दीवार पर लगी। सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की और मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने निकाली तिरंगा पदयात्रा

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री एवं देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल राय ने राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने को लेकर मंगलवार को संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा आयोजित तिरंगा पदयात्रा का नेतृत्व किया। यह तिरंगा पदयात्रा नंद नगरी से लेकर जंतर मंतर तक जानी थी लेकिन पुलिस द्वारा इसे गोकुलपुरी के पास ही रोक दिया गया। राय ने कहा कि देश में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई जहा तिरंगा यात्रा को पुलिस द्वारा रोका गया जबकि यह तिरंगा यात्रा रोजगार के मुद्दे को लेकर थी। इस तिरंगा पदयात्रा के दौरान देशभर से 200 से ज्यादा संगठनो के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर गोपाल राय ने कहा कि रोजगार के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

राय ने बताया की देशभर से लोग इस रोजगार आंदोलन में केवल एक ही तमन्ना लेकर शामिल होने के लिए आए है की आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे है, तो केंद्र में बैठी सरकार को राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने पर तुरंत ही विचार करने की ज़रूरत है। आज देश में बढ़ती बेरोज़गारी दर को देखते हुए देश के तमाम क्षेत्र के बुद्धिजीवीयों के साथ मिलकर हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को हम केंद्र सरकार के साथ साझा करना चाहते है ताकि इसे संसद में कानूनी रूप से पास किया जा सके।

एलजी ने निगम और पालिका परिषद के झंडा कलेक्शन सेंटर में झंडा जमा करने की अपील की

नई दिल्ली। हर घर तिरंगा के तहत 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज से दिल्ली पटी रही। अब इन लाखों झंडों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ निपटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि एमसीडी और नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) ने झंडा संग्रह केंद्र स्थापित किए हैं, उनमें जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली ने पूरे शहर को तिरंगे के रंग में रंग कर अपनी देशभक्ति के जज्बे की मिसाल पेश की है। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तिरंगे का पूरा सम्मान करें और इसे उस सम्मान के साथ निपटाएं जो नियमानुसार जरूरी है। इसके लिए आपको एमसीडी व एनडीएमसी द्वारा बनाए गए संग्रह केंद्रों पर जाकर झंडे जमा करने है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय ध्वज को हीं भी इधर उधर ना फेंके, कटे फटे झंडे आदि के निपटान के लिए ही सरकार ने एमसीडी व एनडीएमसी द्वारा झंडा संग्रह केंद्र स्थापित किए है। आपसे अनुरोध है कि उनसे संपर्क करें और उनका उपयोग करें। उपराज्यपाल ने यह अपील अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट की है।

खबर संक्षेप

बुराड़ी में लुटेरों का बढ़ रहा है कहर

नई दिल्ली। नॉर्थ जिले का बुराड़ी इलाका लुटेरों और बदमाशों का पनाहगाह बना हुआ है। आये दिन यहां पर किसी न किसी शख्स के साथ लूट व झपटमारी की वारदात सामने आती है। हाल ही में बदमाशों ने हरिभूमि अखबार के विज्ञापन विभाग में कार्यरत राजेंद्र कुमार (51) को निशाना बनाया। बदमाश जबरन उनसे मोबाइल फोन लूट ले गये। पीड़ित ने इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। राजेंद्र कुमार संत नगर बुराड़ी में रहते हैं। 12 अगस्त को रात करीब साढ़े 12 बजे वह अपने कनॉट प्लेस ऑफिस से बुराड़ी पहुंचे। इसके बाद वह पैदल की खुशहाल चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद जबरन उनकी जेब से मोबाइल निकालने लगे। विरोध करने पर मोबाइल नीचे गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर मोबाइल उठाया और फरार हो गये।

अवैध शराब रखने के आरोप से व्यक्ति बरी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को हेरोइन और अवैध शराब रखने के आरोप से बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में बहुत अधिक विरोधाभास है। विशेष न्यायाधीश दीपक वासन ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आठ अगस्त को संबंधित आदेश पारित किया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि पुलिस ने जांच के दौरान तय प्रक्रिया के प्रति जानबूझकर असम्मान दिखाया। अदालत ने रेखांकित किया कि जांच एजेंसी अन्वेषण के किसी दौर में एक भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकी और इसके बजाय लापरवाह तरीके से और नियमित जवाब के तौर पर कहा कि जिन लोगों से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया, उन्होंने इससे मना दिया जबकि ऐसे किसी भी व्यक्ति और उनके पते आदि का खुलासा नहीं किया गया है। गौरतलब है कि बिंदापुर थाने में वर्ष 2016 में आरोपी के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने दावा किया कि था कि आरोपी के पास से अवैध शराब (96 पव्वे) और करीब नौ ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।

अदालत ने मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार आप नेता सत्येंद्र जैन को विकृतचित्त व्यक्ति घोषित करने और इस आधार पर उन्हें विधानसभा सदस्य एवं मंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम उचित आदेश पारित करेंगे। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के समक्ष देखा गया है कि जैन की याददाश्त खो गई है और इसलिए उन्हें विधानसभा सदस्य नहीं रहने दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में दावा किया कि जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष खुद घोषित किया है कि उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है और निचली अदालत को भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने अदालत से कहा कि ईडी कोई साधारण एजेंसी नहीं है और उसे दिया गया कोई भी बयान अदालत में स्वीकार्य होता है तथा यदि उन्होंने मंत्री होने के नाते निर्देश जारी किए हैं, जो उन्हें याद नहीं हैं तो इससे जनता प्रभावित हो सकती है। वकील रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के समक्ष जैन की जमानत अर्जी के जवाब में ईडी ने सूचित किया कि आप नेता ने स्वीकार किया है कि गंभीर कोविड के कारण उनकी याददाश्त चली गई थी और याददाश्त खोने की खबर सभी मीडिया स्रोतों द्वारा कवर की गई तथा यह सभी के सामने है।

करंट लगने से बच्ची की मौत

नई दिल्ली। हर्ष विहार इलाके में एक दर्दनाक हादसे में नौ साल की बच्ची कोमल की मौत हो गई। दरअसल बच्ची पड़ोसी की छत पर कटी पतंग उठाने गई थी। वहां बच्ची हाइटेंशन तार की चपेट में आ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। कोमल परिवार के साथ हर्ष विहार स्थित सुशीला गार्डन में रहती थी। परिवार में पिता बलराम, मां पूजा और अन्य सदस्य हैं। 15 अगस्त की दोपहर कोमल बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। इसी दौरान एक पतंग पड़ोसी की छत पर आकर गिरी। बच्ची की नजर उस पर पड़ गई। वह पतंग उठाने के लिए पड़ोसी की छत पर गई जहां उसे हाइटेंशन तार के करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने बच्ची को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पीजी गर्ल्स छेड़छाड़ मामला

डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को एक सुरक्षा गार्ड द्वारा पीजी में रहने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने को कहा है। वहीं डीसीडब्ल्यू ने पीजी के रजिस्ट्रेशन का ब्योरा मांगने के साथ दिल्ली पुलिस को 18 अगस्त को 4.00 बजे तक मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक पीजी में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप पर स्वतः संज्ञान लिया है। आरोप है कि गोल्ड्स विला पीजी, करोल बाग के सुरक्षा गार्ड ने पीजी में रहने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में एक वीडियो भी ट्वीट किया गया है जिसमें एक आदमी को एक महिला को पकड़कर उससे छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है, जो उससे छुड़ा कर भागने की पूरी कोशिश कर रही है। यह भी बताया गया है कि जब इसकी शिकायत पीजी के मालिक से की गई तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की।

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L65999DL1985PLC019846
पंजी. कार्यालय : ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली-110092, Phone:+011-22731509
Email: info@sidhmanagement.inWebsite: www.sidhmanagement.in

सार्वजनिक सूचना-38वीं वार्षिक सामान्य बैठक

कम्पनी के सदस्यों की 38वीं एजीएम बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर 2022 को पूर्वा. 11.00 बजे (आईएसटी) ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली-110092 में, एजीएम आयोजित करने की सूचना में विनिर्दिष्ट बिजनेसेज के लिये आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना ग्रीन इनिशिएटीव मेजर के भाग के रूप में उन सदस्यों को इलैक्ट्रोनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट (एस) के पास पंजीकृत हैं और शेयरधारकों जिनके ई-मेल आईडी उपलब्ध नहीं है, हेतु, इसकी भौतिक प्रतियां अनुमत्य मोड में उनके पंजीकृत पते पर प्रेषित की जा रही हैं।

यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास पहले से ही पंजीकृत है, वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। यदि आप कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवा चुके हैं, वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिये अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाने के लिये कृपया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

फिजिकल होल्डिंग	ई-मेल पता पंजीकरण करवाने के लिये फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन्ड प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन्ड प्रति) प्रदान करते हुये कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट्स, मै. एड्वांइट कार्पोरेट सर्विसेज प्रा. लि. को info@adroitcorporate.com पर एक आग्रह भेजें। **कृपया इसको बृहस्पतिवार, 08 सितम्बर 2022 को अथवा इससे पूर्व अपडेट करें।**
डिमैट होल्डिंग	कृपया आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा परामर्श की गई प्रक्रिया के अनुरूप अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। **कृपया इसको बृहस्पतिवार, 08 सितम्बर 2022 को अथवा इससे पूर्व अपडेट करें।**

वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध होगी और एजीएम की सूचना स्टॉक एक्सचेंजेज जिन पर कम्पनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, की वेबसाइट्स अर्थात www.msei.in पर भी उपलब्ध होगी।

कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/-
दिनेश शर्मा
पूर्ण-कालिक निदेशक
(डीआईएन : 07526355)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 16.08.2022

रेस्तरां में सेवा शुल्क लेने की क्या जरूरत है, दाम बढ़ा सकते हैं : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रेस्तरां में ग्राहकों से अतिरिक्त या अलग शुल्क के रूप में सेवा शुल्क वसूलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके स्थान पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ाने का तरीका अपनाया जा सकता है।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान की। इसके पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने होटलों एवं रेस्तरांओं को ग्राहकों से सेवा शुल्क लेने पर रोकने वाले केंद्र के निर्देश पर स्थगन दे दिया था। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि एक आम आदमी रेस्तरां में वसूले जाने वाले सेवा शुल्क को सरकार की तरफ से लगाया गया कर ही समझता है। ऐसी स्थिति में अगर होटल एवं रेस्तरां ग्राहक से अधिक राशि वसूलना चाहते हैं तो वे अपने यहां परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान के दाम बढ़ा सकते हैं। फिर उन्हें बिल में अलग से सेवा शुल्क लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

स्पाइसजेट विमान के अंदर धूम्रपान करने पर बॉबी कटारिया के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली। विमानन कंपनी स्पाइसजेट की एक उड़ान के अंदर सिगरेट सुलगाने का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया में प्रभाव रखने वाले बॉबी कटारिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्पाइसजेट कंपनी के कानूनी मामलों के प्रबंधक जसबीर सिंह द्वारा 13 अगस्त को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कटारिया के खिलाफ सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बलवंत कटारिया उर्फ बॉबी कटारिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें उन्हें जनवरी 2022 में दुबई से दिल्ली आने वाली स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी 706 में सिगरेट पीते देखा जा सकता है। कटारिया के इंस्टाग्राम पर 6.3 लाख फॉलोअर हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर, नागरिक उड्डयन कानून 1982 के तहत सोमवार को मामला दर्ज किया गया और आगे जांच की जा रही है। पिछले हफ्ते, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 'बॉडी बिल्डर' बॉबी कटारिया का धूम्रपान करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस घटना की जांच के आदेश दिए। यात्रियों को विमान में लाइटर ले जाने और धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है।

27 महीने में घर देने का वादा कर 31 निवेशकों को लगाया था चूना

फ्लैट्स देने के बहाने 10 करोड़ की ठगी करने वाला बिल्डर अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

आर्थिक अपराध शाखा ने फ्लैट्स देने के बहाने 31 निवेशकों से लगभग 10 करोड़ की ठगी करने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम दीपक गुसाईं (40) है। वह साहिबाबाद गाजियाबाद का रहने वाला है। इस केस में आरोपी को कोर्ट ने भगौड़ा भी घोषित किया हुआ था।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए साल 2012 में सेक्टर 2, बावल, रेवाडी में फ्लैट और शॉप को लेकर विज्ञापन दिया था।

निवेशकों ने इसकी बुकिंग बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। 2014 अप्रैल के बाद इस प्रोजेक्ट का काम बंद हो गया। बिल्डर ने निवेशकों को 27 महीने में प्रॉपर्टी पर कब्जा देने का वादा किया था। लेकिन वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका और फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लोगों द्वारा निवेश की गई रकम को आरोपी ने दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर लिया था। इस मामले को लेकर हुई शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने साल 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। लंबे समय से वह इस केस में फरार चल रहा था।

पुलिस से बचने के लिये बदल रहा था ठिकाने

हाल ही में पुलिस को आरोपी के बारे में पता चला। वह लगातार ठिकाने बदल रहा है। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी वह जांच में शामिल नहीं हुआ। जिस कारण उसके खिलाफ एलओसी खुलवाई गयी। गैर जमानती वारंट भी कोर्ट ने इसके खिलाफ जारी कर दिया। कुछ दिन पहले पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली कि वह तिलक नगर इलाके में आएगा। पुलिस ने ट्रेप लगाया और उसे एक डेंटल क्लीनिक के पास से दबोच लिया। आरोपी ने कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। आरोपी की कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ चीटिंग से सम्बंधित तीन अन्य मुकदमें भी दर्ज मिले हैं। बहरहाल पुलिस इसके सहयोगियों की तलाश में लगी है।

एकम लीजिंग एंड फाइनैंस कं. लि.
CIN-L74899DL1993PLC055697, Email ID: ekam.leasing1@gmail.com
पंजी. कार्यालय : 11, रानी झांसी रोड, मोतिया खान, एम.एम. रोड, नई दिल्ली-110055

30 जून 2022 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंडअलोन एवं समेकित अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समेकित			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.06.2022 (अअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	30.06.2021 (अअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	15.72	14.08	13.73	57.31
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	10.67	8.63	9.07	34.64
3.	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद) मदें और / अथवा असाधारण मदें) जेवी का लाभ अथवा हानि	10.67	8.63	9.07	34.64
4.	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	9.34	2.01	8.16	25.41
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	9.34	2.01	8.16	25.41
6.	इक्विटी शेयर कैपिटल	300.00	300.00	300.00	300.00
7.	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	544.29	-	544.29
8.	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 5 प्रत्येक) (निरंतर प्रचालनों हेतु)				
	बेसिक :	0.16	0.03	0.14	0.42
	डायल्युटेड :	0.16	0.03	0.14	0.42

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के प्रमुख आंकड़े

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.06.2022 (अअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	30.06.2021 (अअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	15.72	14.08	13.73	57.31
2.	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद) मदें और / अथवा असाधारण मदें)/जेवी का लाभ अथवा हानि	5.05	4.01	2.82	13.34
3.	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	3.72	2.97	1.91	9.69

टिप्पणियां :-
1. उपरोक्त परिणाम सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। स्टैंडअलोन और समेकित अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेज वेबसाइट अर्थात (www.bseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट (www.ekamleasing.com) पर उपलब्ध है।
2. पूर्ववर्ती वर्षों / तैमाहिक आंकड़े, जहां आवश्यक है, रियुपूड / रिअरेंज्ड कर लिये गये हैं।
3. 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही हेतु परिणाम कम्पनी मामलों का मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) के अनुपालन में हैं।
4. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और 14 अगस्त 2022 को आयोजित इसकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये और रिकार्ड पर ले लिये गये।

निदेशक मंडल की ओर से
एकम लीजिंग एंड फाइनैंस कं. लिमिटेड
हस्ता/-
राकेश जैन
प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00061737

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 अगस्त 2022